GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] No. 441] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 01, 2017/अग्रहायण 10, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. ३६५

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 01, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939

[N.C.T.D. No. 365

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं. 42/ 2017-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(60)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/779.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व -1) की अधिसूचना सं. 2/2017 राज्य कर (दर), तारीख जून 30, 2017, सं.फा. 03(15)वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374, तारीख जून 30, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते है अर्थात-:

उक्त अधिसूचना में, -

- (1) सूची में,-
 - (i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी,यथा:—

6990 DG/2017 (1)

"8	0203,	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
	0204,	
	0205,	
	0206,	
	0207,	
	0208,	
	0209	
9	0203,	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट
	0204,	कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
	0205,	
	0206,	(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में
	0207,	कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के
	0208,	े उपलब्ध हा अनुबंध I में दो गई शता के अवान रहते हुए, उनसे निन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से
	0209,	परित्याग कर दिया गया हो] ";
	0210	

- (ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;
- (iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:—

"21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

- (iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा:—

"30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vi) क्रम सख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा:—

"43क	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिम शीतित उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
		(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
		(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी
		अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी
		अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दियाग या हो] ";

- (vii) क्रम संख्या 46 के स्तंभ (3) में, शब्दों "ताजा, द्रुतशितित" के स्थान पर शब्दों "ताजा, या द्रुतशितित, शुष्क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम सख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा:—

"46 क	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
46ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलका रहित है या नहीं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";
- (ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रति स्थापित किया जाएगा:
- (x) क्रम सख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा:—

"78 क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण";
--------------	------------	-----------------

(xi) क्रम सख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा:—

"87年 1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";
-----------------	--

(xii) क्रम सख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा:—

"93年 1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित";
-----------------	-----------------------

- (xiii) क्रम संख्या 94 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना (गुड़) पालिमरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 103 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "नमक (टेबल नमक और विकृतनमक (और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंटयुक्त; समुद्र जल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (XV) कम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविश्टि के बाद निम्नलिखित कम संख्या और प्रविश्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :-

(XVI) कम संख्या 136 और उससे संबंधित प्रविश्टि के बाद निम्नलिखित कम संख्या और प्रविश्टि अंतःस्थापित की जाएगी,यथा :--

"136क	7113	लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ";

- (2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख)के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- "(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -
- (क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।
- (ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर.

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/ 201718/डीएस-VI/374 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, द्वारा अधिसूचना सं. 35/2017- राज्य कर (दर), तारीख 24 नवम्बर, 2017 सं. फा. 03(48)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/751, तारीख 24 नवम्बर, 2017 द्वारा किया गया था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th November, 2017

No. 42/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(60)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/779.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (1) in the Schedule,
- (i) for S. Nos. 8 and 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"8	0203,	All goods, fresh or chilled
	0204,	
	0205,	
	0206,	
	0207,	
	0208,	
	0209	
9	0202,	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit
	0203,	container and, -
	0204,	(a) bearing a registered brand name; or
	0205,	(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those
	0206,	where any actionable claim or enforceable right in respect of such
	0207,	brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";
	0208,	

0209,	
0210	

- (ii) S. Nos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and the entries thereof shall be omitted;
- (iii) for S. Nos. 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"21	0304,	All goods, fresh or chilled	
	0306,		
	0307,		
	0308		
22	0303, 0304,	All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit container and, -	
	0305,	(a) bearing a registered brand name; or	
	0306,	(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those	
	0307,	where any actionable claim or enforceable right in respect of such	
	0308	brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";	

- (iv) S. Nos. 23, 24 and the entries thereof shall be omitted;
- (v) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"30A	0504	All goods, fresh or chilled
30B	0504	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(vi) after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the
ANNEXURE I]";

- (vii) in S. No. 46, in column (3), for the words "fresh or chilled" the words "fresh or chilled, dried" shall be substituted;
- (viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"46A	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pelletsother than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]	
46B	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled [other than those purp up in unit container and,— (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where an actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";	

- (ix) in S. No. 77, in the entry in column (3), for the words "Flour of potatoes" the words "Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes", shall be substituted;
- (x) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"78A	1106 10 10	Guar meal";

(xi) after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"87A	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets";

(xii) after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"93A	1404 90 60	coconut shell, unworked";

- (xiii) in S. No. 94, for the entry in column 3, the entry "Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery; Khandsari Sugar" shall be substituted;
- (xiv) in S. No. 103, for the entry in column (3), the entry "Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water", shall be substituted;

(xv) after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"103A	26	Uranium Ore Concentrate";

(xvi) after S. No. 136 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"136A	7113	Bangles of lac/ shellac";
15 01 1	7113	Building of the sheller ;

- (2) in the Explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
- (b) The phrase "registered brand name" means, -
- (A) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;
- (B) a brand registered as on or after the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957);
- (C) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.".
- 2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended by Notification No. 35/2017-State Tax (Rate) dated 24th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F. 3 (48)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/751, dated the 24th November, 2017.

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं.फा. 03(67)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/780.—दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 3 एवं दिल्ली मूल्य सवंधित कर अधिनियम 2004 (2005का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप—राज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियमों के तहत आयुक्त, राज्य कर एवं मूल्य सवंधित कर, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सहायता हेतु अधिनियमों के लागू होने तथा पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:—

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पदनाम	मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	पी.एस. धारीवाल	30.05.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(2)	शंकर देव शर्मा	31.05.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(3)	विमल दिवाकर	30.05.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(4)	नागेश कुमार	05.06.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(5)	अल्का चौधरी	30.05.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(6)	आर. डी. शर्मा	01.07.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

(7)	राजेन्द्र कुमार आहूजा	14.07.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(8)	डैनियल मसीह	12.07.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(9)	युवराज सिंह सैनी	17.07.2017	सहायक आयुक्त, राज्य कर	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
(10)	चरनजीत सिंह	31.03.2017	वस्तु एवं सेवा कर निरीक्षक	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

Delhi, the 30th November, 2017

No. F. 3(67)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/780.—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 and in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following officers for discharging of statutory duties under these Act as per the acts enforce and with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of State Tax and Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Acts namely:

S. N.	Name of the Officer	Date of Joining	Designation under Delhi Goods and Service Tax Act, 2017	Designation under Value Added Tax Act, 2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	P.S. DHARIWAL	30.05.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(2)	SHANKAR DEV SHARMA	31.05.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(3)	VIMAL DIWAKAR	30.05.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(4)	NAGESH KUMAR	05.06.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(5)	ALKA CHOUDHARY	30.05.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(6)	R.D. SHARMA	01.07.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(7)	RAJENDER KUMAR AHUJA	14.07.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(8)	DENIEL MASIH	12.07.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(9)	YUVRAJ SINGH SAINI	17.07.2017	Assistant Commissioner of State Tax	Value Added Tax Officer
(10)	CHARANJIT	31.03.2017	Goods and Services Tax Inspector	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (FINANCE)